

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी०के०एस० भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / Q-8 / छात्र / NEET-PG-22 / संचिशि / 22

रायपुर, दिनांक / 25/10/22

संशोधित

— / / सूचना / / —

चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) में द्वितीय काउंसिलिंग हेतु पात्र आवेदक (प्रथम काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के नियम क्र० 14 (क) के अनुसार पात्र तथा प्रथम काउंसिलिंग में अनाबंटित आवेदक) निम्न सारणी अनुसार संस्था चयन कर सकेंगे।

द्वितीय काउंसिलिंग हेतु आबंटन पूर्व संस्था चयन हेतु समय सारणी :-

1	प्रारंभ तिथि	दिनांक : 25 अक्टूबर 2022 से समय : रात 10:00 PM (22:00 Hrs) (Server Time) से
2	अंतिम तिथि	दिनांक : 28 अक्टूबर 2022, समय : संध्या 02:00 PM (14:00 Hrs) (Server Time) तक

रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर, पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में एवं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जुनवानी भिलाई, चंद्रलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने की व्यवस्था करें।

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तद-अनुसार स्कूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

पंजीयन शुल्क :-

(संलग्न राजपत्र में देखें बिन्दु क्र० 11 की तालिका कॉलम 4 में उल्लेखित पंजीयन शुल्क " संलग्न : भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली का अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2018 सं.भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./100818 ")

श्रेणी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटो हेतु पंजीयन राशि	निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीटो हेतु पंजीयन राशि
UR	25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)
SC/ST/OBC	12,500/- (रु. बाहर हजार पांच सौ मात्र)	2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)

ऑनलाईन आवेदन के समय जमा की गई पंजीयन शुल्क राशि वापसी योग्य (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में पी.जी. सीट आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते हैं अथवा प्रवेश लेकर सीट त्यागते हैं तो, यह राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी।

द्वितीय काउंसिलिंग में, जिस हेतु पात्र आवेदक सावधानी पूर्वक केवल वही संस्था एवं विषय का चयन करें जिसमें वे प्रवेश लेना चाहते हैं, द्वितीय आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश नहीं लेने के स्थिति में आपकी पंजीयन राशि जप्त कर ली जायेगी। (केवल संस्था चयन होने के कारण संशोधन (Edit) की सुविधा उपलब्ध नहीं है)।

नोट :-

1.आगामी काउंसिलिंग, आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट www.cgdmee.in का नियमित अवलोकन करें।



25/10/22


25/10/22


क्रमशः—2—

232

2. सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में आबंटन संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था के घोखे में नहीं फंसे।
3. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 का अवलोकन कर ही, स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।


25/10/22
अध्यक्ष,

काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.


25/10/22
संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़


पृ. क्रमांक / Q-9 / छात्र / NEET-PG-22 / संचिशि / 22 रायपुर, दिनांक / 25/10/22

प्रतिलिपि :- अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संस्था प्रमुख स्कूटनी समिति को निर्देशित करें कि समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोनस अंक दस्तावेज एवं प्रावीण्य सूची में अंकित बोनस अंक से मिलान भी करें।


25/10/22
अध्यक्ष,

काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.


संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़